न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 42/2020

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0
पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर
शाखा कार्यालयः– आदर्श नगर, अजमेर
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

(1). श्री अमित अग्रवाल पुत्र श्री घनश्यामदास,
पताः– अग्रवाल 100 तेजाजी चौक, वार्ड नं0 1,
अमेठी पब्लिक स्कुल के पास, कोटडा, अजमेर व ए0एम0सी नम्बर 45/100ए,
स्थित आबादी ग्राम कोटडा, तहसील व जिला अजमेर
(2). श्री अविनाश अग्रवाल पुत्र श्री घनश्यामदास अग्रवाल,
(3). श्रीमती रूचिका अग्रवाल पत्नि श्री अमित अग्रवाल,
(4). श्रीमती सुधा अग्रवाल पत्नि श्री घनश्यामदास अग्रवाल,
तीनो निवासीः– 100 तेजाजी चौक, वार्ड नं0 1,
अमेठी पब्लिक स्कुल के पास, कोटडा, अजमेर
(5). अमेठी एज्युकेशनल सोसाईटी जरिये सचिव अमित अग्रवाल, तेजाजी चौक के पास,
अमेठी पब्लिक स्कूल, कोटडा, पुष्कर रोड, अजमेर

.....अप्रार्थीगण (ऋणी/जमानती)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री प्रवीण सिंह राजावत अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 20.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सं 01 से 04 को दिनांक 11.05.2017 को 78,00,000/– व 18,90,000/– कुल रूपये 96,90,000/– (अक्षरे छियानवे लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर आबादी ग्राम कोटडा स्थित आवासीय सम्पति ए0एम0सी नम्बर 45/100ए, क्षैत्रफल 571.50 वर्ग गज जिसके विक्रयपत्र का पंजीयन उप पंजीयक अजमेर में दिनांक 3.2.2003 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1496 में पृष्ठ संख्या 46 कम संख्या 646 पर पंजीबद्व किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2978 पृष्ठ संख्या 257 से 260 पर चस्पा किया गया है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नानुसार है – पूर्व –जायदाद श्री जे0पी0गुप्ता, पश्चिम –खुला प्लॉट श्री वी0के0 माथुर, उत्तर–सम्पत्ति श्री उगमा पुत्र श्री खीयाजी, दक्षिण –आम रास्ता 25 फुट चौडा, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 10.10.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 31.10.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–91,48,404/– (अक्षरे

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

ईकरानवे लाख अडतालीस हजार चार सौ चार रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम कोटडा स्थित आवासीय सम्पति ए0एम0सी नम्बर 45/100ए, क्षैत्रफल 571.50 वर्ग गज जिसके विक्रयपत्र का पंजीयन उप पंजीयक अजमेर में दिनांक 3.2.2003 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1496 में पृष्ठ संख्या 46 क्रम संख्या 646 पर पंजीबद्व किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2978 पृष्ठ संख्या 257 से 260 पर चस्पा किया गया है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नानुसार है – पूर्व –जायदाद श्री जे0पी0गुप्ता, पश्चिम –खुला प्लॉट श्री वी0के0 माथुर, उत्तर–सम्पत्ति श्री उगमा पुत्र श्री खीयाजी, दक्षिण –आम रास्ता 25 फुट चौडा, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner